फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री लोकपाल शर्मा निवासी सुथारों का वास मगरा पूंजला जोधपुर जिला जोधपुर।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 32 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को एक आवेदन दिनांक 04.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कोषाधिकारी द्वारा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक उठाया गया मकान भत्ता के स्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति एवं कोषाधिकारी को जिस मकान का किराया स्वीकृत किया गया है, वह नगरपालिका में स्थित है अथवा नहीं तथा कोषाधिकारी द्वारा अनुबंधित वाहन को नगरपालिका के बाहर उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं तथा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक उपयोग किए गए अनुबंधित वाहन की लॉगबुक की प्रमाणित प्रति तथा वाहन के अनुबंध के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश, अनुबंध की प्रति, वाहन के बीमा की प्रति एवं चालक के लाईसेंस की प्रति तथा श्री श्रवणसिंह सहायक लेखाधिकारी कोषालय सिरोही में कब से पदस्थापित है तथा इनको कब–कब एवं क्या–क्या कार्य आंवटित किया गया उसकी प्रमाणित प्रति तथा कोषालय के लिए सामग्री क्रय करने हेतु गठित कमेटी में हमेशा ही श्री श्रवणसिंह सदस्य रहते है अथवा नहीं तथा श्री श्रवणसिंह द्वारा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक उठाए गए यात्रा भत्ता बिलों की प्रमाणित प्रति एवं इनको कब–कब अवकाश स्वीकृत किया गया, उसका विवरण एवं कोषाधिकारी द्वारा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक किए गए समस्त टैण्डर में श्री श्रवणसिंह भी कमेटी के सदस्य रहे है तो आदेश की प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को एक आवेदन दिनांक 04.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कोषाधिकारी द्वारा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक उठाया गया मकान भत्ता के स्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति एवं कोषाधिकारी को जिस मकान का किराया स्वीकृत किया गया है, वह नगरपालिका में स्थित है अथवा नहीं तथा कोषाधिकारी द्वारा अनुबंधित वाहन को नगरपालिका के बाहर उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं तथा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक उपयोग किए गए अनुबंधित वाहन की लॉगबुक की प्रमाणित प्रति तथा वाहन के अनुबंध के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश, अनुबंध की प्रति, वाहन के बीमा की प्रति एवं चालक के लाईसेंस की प्रति तथा श्री श्रवणसिंह सहायक लेखाधिकारी कोषालय सिरोही में कब से पदस्थापित है तथा इनको कब–कब एवं क्या–क्या कार्य आंवटित किया गया, उसकी प्रमाणित प्रति तथा कोषालय के लिए सामग्री क्रय करने हेतु गठित कमेटी में हमेशा ही श्री श्रवणसिंह सदस्य रहते है अथवा नहीं तथा श्री श्रवणसिंह द्वारा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक उठाए गए यात्रा भत्ता बिलों की प्रमाणित प्रति एवं इनको कब–कब अवकाश स्वीकृत किया गया, उसका विवरण एवं कोषाधिकारी द्वारा जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक किए गए समस्त टैण्डर में श्री श्रवणसिंह भी कमेटी के सदस्य रहे है तो आदेश की प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोष/आर.टी.आई./2025–26/391 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	